

दिनांक	हुकम या-कार्यवाही मय इनिशियल जज सुखलाल vs राजेन्द्र कुमार वर्मा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
--------	--	---

6/12/24

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक...13/12/24...को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

19/12/24

पत्रावली पेश हुई। जर्जीगण एवं जर्जी आधिवक्ता अनुपस्थित। जर्जीगण एवं जर्जी आधिवक्ता की नियमानुसार तीन बार आवेदन लगवाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। जर्जीगण द्वारा उपर्युक्त मूल वाद सं. 26/2003 अन्तर्गत धारा 183 राजमान काश्तकारी अधिनियम में लागू जर्जीगण पत्र आदेश न नियम 11 जा-दीवानी जर्जीगण पत्र दिनांक 28/12/2013 का जवाब पेश नहीं किये गये एवं न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय न्याय प्रतीवक्ता मूलवाद को खारिज किया जा चुका है। मूल वाद संख्या 26/2003 को दिनांक 10/10/2024 को खारिज किये जाने से जर्जीगण द्वारा उपर्युक्त जर्जीगण पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजमान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है। निष्पत्ति सर्वोच्च न्यायालय सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार टोका तामील तालर हो नका नम्बर से कम है।


19/12/24

सहायक कलक्टर
मीलवाड़ा